श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और आप समझ रहे हैं मेरी मुश्किल ।

श्री सभापति :ये भी समझ रहे हैं, पूरा हाऊस समझ रहा हैं ।....(**व्यवधान**)...लालू जी, देखिए, आपने बता दिया है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया हैं ।...(**व्यवधान**)....

श्री लालू प्रसाद: मैंने क्या किया, यह अखबार में...

श्री सभापति: अखबार में छपा हैं, ठीक हैं...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: महोदय, राम जेठमलानी जी माननीय सांसद हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं...

श्री सभापति : वह ठीक हैं, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया हैं ।...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: यह अखबारों में छपी हुई बात हैं, इसको समझना चाहिए आपको ।

श्री सभापति : लालू जी, यह संभव नहीं हैं कि अखबारों में जो छपे उसको जवाब देने के लिए उसी दिन मंत्री आ जाएं । यह संभव नहीं हैं । आपने आज ही तो कहा हैं ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, ये इसे देखें और देखकर कार्रवाई करें ।

श्री संजय निरूपम: सभापति जी, एक मिनट-एक मिनट ।

श्री सभापति: कोई एक मिनट नहीं । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया देय राशि

*665. **श्री मती प्रेमा करियप्पा**: ††
श्री मोती लाल वोरा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का अभी तक चीनी मिलों पर कितना बकाया हैं और उसमें पिछले वर्ष का देय कितना हैं:,
(ख) उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी व सरकारी चीनी मिलें कितनी हैं और इनमें से कितनी मिलें चल रही हैं:,
(ग) किसानों को गन्ने का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा चीनी मिलों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:,
(घ) क्या सरकार को किसानों का पूरा गन्ना न खरीदे जाने की कोई शिकायतें मिली हैं:, और

††सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया ।

(ड़) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) **:** (क)से (ड़) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा हैं।

विवरण

(क) से (ड़) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2003 को स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2002-2003 के लिए 1139.77 करोड़ रूपये तथा 2001-2002 चीनी मौसम के लिए लगभग 24.98 करोड़ रूपये गन्ना किसानों का बकाया था।

2. उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में संस्थापित और कार्यरत चीनी मिलों की संख्या के संबंध में (तथा पेराई कार्य के आरम्भ होने के संबंध में) सूचना नीचे दी गई हैं :-

क्रम सं.	क्षेत्र	31-3-2003 की स्थिति के अनुसार संस्थापित चीनी मिलें	उन चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने चीनी मौसम 2002-2003 के लिए पेराई कार्य आरम्भ किया
1.	निजी	58	51
2.	सहकारी	27	57
3.	सार्वजनिक	22	22
	कुलः	107	100

3.वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए उत्तर प्रदेश में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों से 95 रूपये से 100 रूपये प्रति क्विंटल के रेंज में गन्ना मूल्य अदा करने के लिए कहा गया हैं जबकि निजी चीनी मिलें गन्ना किसानों तथा संबंधित चीनी मिलों के बीच हुई सहमति के अनुसार किसानों को अग्रिम के रूप में कुल मिलाकर 70 रूपये से 90 रूपये प्रति क्विंवटल के रेंज में मूल्य अदा कर रही हैं।

4. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ने की खरीद नहीं करने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

Outstanding dues of sugarcane growers in Uttar Pradesh

†*665. SHRI MATIPREMA CAR1APPA: ††
SHRI MOTI LAL VORA:

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Prema Cariappa.

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the outstanding dues of sugarcane growers against the sugar mills in Uttar Pradesh, as on date, togetherwith the dues pertaining to the previous year,

(b) the number of private, co-operative and Government sugar mills in Uttar Pradesh togetherwith the number of mills which are in operation,

(c) the rate of sugarcane being paid to the farmers and the facilities provided by Government to sugar mills;

(d) whether Government have received complaints regarding non-purchasing of the entire sugarcane; and

(e) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRISHARAD YADAV): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) As per the information furnished by the Government of Uttar Pradesh, the outstanding dues of the sugarcane growers for the sugar season, 2002-2003 (as on 28th February, 2003) were Rs. 1139.77 crores and an amount of about Rs. 24.98 crores, pertaining to the 2001-2002 sugar season, was outstanding to the cane growers.

2. The information in respect of the number of installed and working sugar mills of the private, cooperative and public sectors in Uttar Pradesh (and in regard to the commencement of crushing operations) is given below:

Sl. No.	Sector	Installed sugar mills (As on 31-3-2003)	Sugar mills commence crushing operations for 2002-2003 sugar season
1.	Private	58	51
2.	Cooperative	27	27
3.	Public	22	22
	TOTAL :	107	100

3. For the current 2002-2003 sugar season, the cooperative and public

sector mills in U.P. have been asked to pay cane price in the range of Rs. 95-100 per quintal while the private sugar mills are, by and large, paying price in the range of Rs. 70 to 90 per quintal, as per agreement between cane growers and the concerned sugar mills, as advance to the growers.

4. No complaint has so far been received in regard to non-purchase of the entire sugarcane by the sugar mills in U.P.

SHRIMATIPREMA CARIAPPA: Mr. Chairman, Sir, in Uttar Pradesh, the sugarcane growers have harboured complaints against the sugar mill management for underweighment of sugarcane as also delayed payments which are far less than minimum procurement price announced by the State and the Centre, from time to time, hi the reply, it has been stated that the State Government of Uttar Pradesh has fixed Rs. 95 per quintal of sugarcane as State Advisory Price, and farmers are demanding this price. The Centre has fixed Rs. 70-90 per quintal as Mimmum Support Price. The farmers' dues have gone up mainly because of the difference between the SAP and MSP fixed by the State and the Centre respectively...*(Interruptiors)*...Sir, two days back, it has been reported in the newspapers,' 'UP farmers left guessing as cane price war goes on."

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I would like to know from the hon. Minister, what is the reason for the failure to find a solution, despite strong intervention by the Centre through pressure from Food Minister, Agriculture Minister, Law Minister and even the Chief Minister of Uttar Pradesh?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया हैं वह निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या हैं । सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए कई कदम उठाए हैं । जो कदम उठाए हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से किसानो की बाबत हमारे पास जो पैसा है वह तेरह सौ करोड़ रूपऐ के करीब हैं। इसमें से हमने बीस लाख बफर स्टाक बनाकर सात सौ छियासी करोड़ रूपए रखे हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए पचास करोड़ रूपए, मॉडर्नाइजेशन एण्ड रिहैब्लीटेशन के लिए एक सौ पचास करोड़ रूपए, केन डेवलेपमेंट के लिए बीस करोड़ रूपए, बगास और को- जनरेशन के लिए सौ करोड़ रूपए, एथेनोल के लिए पचास करोड़ रूपए हैं । हमारे पास बफर स्टाक हैं । पहले हमेशा ऐसा होता था कि गन्ना उत्पादन साइकल से चलता था लेकिन चार वर्षो से जो उत्पादन है वह बढ़ता जा रहा है । चीनी के दाम कम हुए हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री मती सरला माहेश्वरी : गन्ना किसानों को दाम मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, जब आप पूछेंगी तो आपको भी जवाब दूंगा । इन्होंने पूछा हैकि जो दिक्कत हैं उस दिक्कत के बारे में सरकार क्या कर रही हैं ? यह बहुत गंभीर समस्या हैं । इस पर प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी, 2003 को शरद पवार के साथ-को ऑपरेटिव्स की एक मीटिंग बुलाई थी । 27 अप्रैल को भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की चीफ़ मिनिस्टर, वहां की गन्ना मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे । प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई हैं चार तारीख को उसकी बैठक बुलाई गई थी । उत्तर प्रदेश में असली समस्या यह है कि यहां स्टेच्युट्री मिनिमम प्राइस एनाउंस किए गए हैं । यह पहले चौंसठ रूपए था अब उनहत्तर रूपए हो गया हैं इसलिए जो प्राइवेट मिल ओनर्स हैं,जो निजी उद्योग के लोग हैं वे कोर्ट में चले गए हैं, उन्होंने स्टे ले लिया हैं । वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाकर को –ऑपरेटिव और सरकारी मिलों को नाइन्टी फाइव रूपए पे करने का आदेश लिया हैं लेनिक जो निजी चीनी उद्योग के मलिक हैं वे एम.एस.पी. और स्टेट एडवाइजरी प्राइस में रेट का जो अंतर हैं उस अंतर को देने के संबंध में कोर्ट से स्टे लेकन आए हैं । उनसे अभी चार तारीख को मीटिंग हुई हैं । इस पर वार्ता जारी हैं । हम इस समस्या से जूझ रहे हैं । माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं वह पूछने का काम करें मैं सब तरह से जवाब देने के लिए तैयार हूं । सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है और आगे भी जो कदम उठाने हैं उन्हें हर प्रकार से उठाने के लिए तैयार हैं ।

DR. T. SUBBARAMIREDDY : We want to know what the Government is doing.

SHRIMATIPREMA CARIAPPA: Sir, I want to know whether, normally mill owners enter into contract with farmers in regard to supply price and time of payment, and, if so, who is the authority to enforce such contracts and how many sugar mills, in both the Government and private sectors, have been closed in UP?

श्री शरद यादव: इसका जवाब तो दे दिया हैं ।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सन् 2001-2002 की बकाया राशि 24 करोड़ 48 लाख रूपए हैं और सन् 2002-2003 की बकाया राशि 1139.77 लाख रूपए हैं, कुल मिला करके 1164 करोड़ 75 लाख रूपए की राशि आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया हैं । मैं माननीय मंत्री जी के प्रयास की प्रंशसा जरूर करना चाहूंगा , लेकिन उसके साथ यह भी जानना चाहूंगा कि उनके इतने प्रयास करने के बाद भी क्या मिल मालिक सरकार पर इतने हॉवी हैं कि वे गन्न किसानों की बकाया राशि नहीं दे पाएं ? मेरा दूसरा प्रश्न हैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में एक बैठक बुलाई...(**व्यवधान**)....एक बार जवाब दे दें...(**व्यवधान**) ।

श्री सभापति: वह इन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी ।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बैठक तब बुलाई जब गन्ने का सीजन समाप्त हो गया । जो निजी मिल मालिक हैं वे आज 65 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं जबकि वायदा किया गया था कि 90 रूपये प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा । अब जबकि एक साल का समय पूरा होने को आया हैं और प्रधानमंत्री जी को हस्तेक्षेप करना पड़ा, मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा और गन्ना मंत्री को बुलाना पड़ा, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके बाद भी आज जो 1164 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि मिल मालिकों की तरफ किसानों की बकाया हैं, उसकी वसूली के लिए सरकार सख्ती से कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शरद यादव : श्रीमन्, वोरा जी ने दो-तीन सवाल पूछे हैं, मैं उनका एक-एक करके जवाब देना चाहूंगा । मेरी आपसे विनती भी होगी कि उसमें जल्दबाजी न करें, इसलिए कि यह एक गंभीर समस्या हैं । अब यदि मैं भी नहीं कह पाऊंगा तो मुझे भी अंसतोष रहेगा और जब मैंबर्ज को भी पता नहीं चलेगा तो उनको भी अंसतोष रहेगा । इसलिए इन्होंने एक-एक करके जो बातें उठाई हैं, उनका मैं एक-एक करके जवाब देता हूं। सभापति जी, एक तो वोरा जी ने कहा कि भारत सरकार चिंतित नहीं हैं । दिसंबर में कृषि सीजन के पहले प्रधानमंत्री जी के यहां, शरद पवार, मैं और विखे पाटील जी, जो यहां हैं, उनकी एक बैठक हुई थी और इस मामले की गंभीरता को लेकर उस पर चर्चा की थी कि इससे किस-किस तरह से निपटना हैं। उसी में एसडीएफ ने करीब 412 करोड़ रूपया किसानों की मदद के लिए दिया और इसमें अकेले किसानों के केन ड्यूज के ऊपर ये सारे निर्भर हैं । दूसरा आपने कहा हैं कि प्राइवेट मिल मालिकों ने वसूली क्यों नहीं करवा पा रहे हैं । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के ऊपर जो केन डयूज बकाया हैं वे 316.14 करोड़ के हैं । यानी 77 परसेंट बकाया हैं । कोआपरेटिव सैक्टर सरकार के पास ही होता हैं, उसमें 515.98 करोड़ रूपया देना बाकी हैं यानी 70 फीसदी इसमें ड्यज बचे हैं, जो प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं और हमारे हाथ में जो अधिकार हैं, उसमें जो केन ड्यज बचे हैं, बैलेंस बचा हैं, उनको पे करना था 2,970 और बचे हैं 772.29 ...(**व्यवधान**)...

श्री मोती लाल वोरा: क्या....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह गणित का सवाल हैं ।...(**व्यवधान**)... यह गणित का सवाल हैं । आप बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...क्या कर रहे हैं, आप ।

SHRIMOTIL AL VORA : I am not disputing the figures. आप कहिए।

श्री शरद यादव: जो बैलेंस बचा हैं, जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया हैं वह 772 करोड़

रूपया हैं, यानी 26 परसेंट । अब सभापति जी मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001-02 में जो ड्यूज बचे हैं वे 24 करोड़ के हैं । जो बहुत ज्यादा थे और जिसे कौशिक जी हमेशा उठाते थे, वह सिर्फ 24 करोड़ बचे हैं । इसमें 2000-2001 के और पहले के एरियर्स 57 करोड़ हैं और कुल मिलाकर 82 करोड़ बचे हैं । वर्ष 2002-2003 के उत्तर प्रदेश के करेंट सीजन के ड्यज 1139 करोड़ बचे हैं और यह इस सीजन में हमेशा बचते हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैसे पिछली बार के ड्यूज को हमने मजबूती से उन को दिलाने का काम किया हैं, इस बार भी करेंगे । महोदय, अकेले इस सीजन में नहीं, ड्यूज हर सीजन में बचते हैं, इस बार थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि सुगर में क्राइसिस हैं, इसलिए ड्यूज ज्यादा हैं ।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह कथन सत्य की परिभाषा के विपरीत हैं । महोदय,मैं माननीय मंत्री जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हर सीजन में किसानों को देनदारी रहती हैं बल्कि हमेशा एक सप्ताह के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान होता रहा हैं । अब सात महीने का समय बीतने आ रहा हैं और माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वह मेरी दृष्टि से उचित नहीं हैं । सरकार को चाहिए कि जिन किसानों ने गन्ना पैदा किया और मिलों को दिया और मिल मालिक उन को सात-सात महीने तक भुगतान न करें, यह निश्चित रूप से अफसोस की बात हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में कार्यवाही करें ।

श्री शरद यादव:महोदय, मैं एक बात कह दूं । इन्होंने ठीक बात पूछी, मैं इनकी बात का ठीक जवाब दे दूं । वर्ष 1999-2000 में जो एरियर्स बकाया थे, वे 1083 करोड़ थे, 2000-2001 में 1386 करोड़ और 2001-2002 में 2393 करोड़ थे ।

श्री सभापति : आप तो यह बता दीजिए कि ये जिस समय गवर्नर थे, उस समय कितना बकाया था ।

श्री मोती लाल वोरा: मैं बताऊंगा ।

श्री शरद यादव:मैं वोरा जी से कह रहा हूं कि यह परंपरा एक दिन की नहीं है । मैं आप के जमाने के फिगर आपको पहुंचा दूंगा । **...(व्यवधान)...**आप ठीक कह रहे हैं कि पेमेंट जल्दी होना चाहिए, आप की बात ठीक हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन लगातर पंरपरा रही हैं । आप के जमाने में भी सरकार रही हैं, मैं उस के ड्यूज भी आप के पास पहुंचा दूंगा ।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति जी, उत्तर प्रदेश के किसानों का यह मामला बहुत ही गंभीर और संवेदनशीन हैं । यह बात सच हैं कि वर्ष 97 से यह प्रकरण कभी हाईकोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचारधीन हैं, लेकिन अदालत में विचारधीन होने के कारण मैं ऐसा महसूस कर

रहा हूं और मैं ही नहीं उत्तर प्रदेश का किसान भी यह महसूस कर रहा हैं कि चीनी मिल मालिकों की मनमानी काफी हद तक बढ़ गयी हैं । महोदय, इस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन हैं । लेकिन संविधान पीठ के समक्ष मामला यह नही है कि चीनी की कीमत कितनी होनी चाहिए, बल्कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि मूल्य निर्धारण का काम राज्य सरकारें करेंगी या केन्द्र सरकार करेगी ? महोदय, यह प्रकरण 97 से चल रहा हैं । इसके पहले जब भी गन्ने की कीमत निर्धारित हुई हैं, उस का भुगतान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने बराबर कराया हैं, लेकिन इस बार उस का भुगतान नहीं हो रहा हैं । सरकारी और सहकारी मिलें तो भुगतान 95 रूपए और 100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही हैं जो कि निर्धारित हैं । महोदय, उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहकारी मिलें...(**व्यवधान**)...मेरी एक बात सुन लीजिए ।

श्री सभापति: आप सवाल करिए ।

श्री राजनाथ सिंह:महोदय, मैं उस पर आ जाता हूं । मैंने बकाया की बात कही हैं।

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए ।

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, क्षमा चाहूंगा, मेरा सवाल थोड़ सा लंबा हो जाएगा ।

श्री सभापति: आप लंबा मत कीजिए, आप सीधा सवाल कीजिए । यह तो माननीय सदस्यों को मालूम हैं ।

श्री राजनाथ सिंह:नहीं , सर, मालूम नहीं हैं । मेरा यह कहना हैं कि सरकारी और सहकारी मिलें तो 95 रूपए और 100 रूपए प्रति क्विंटल के दर से दे रही हैं,...

श्री सभापति: वह तो मंत्री जी ने बता दिया हैं ।

श्री राजनाथ सिंह : लेकिन, श्रीमन् जो प्राइवेट शुगर मिल हैं वे कोई 75 रूपए, कोई 70 रूपए, कोई 96 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही हैं । इस प्रकार से गन्ने की दोहरी कीमत हो जाने के कारण साफ हैं कि चीनी की भी दोहरी कीमत हो जाएगी । जो सरकारी और सहकारी चीनी मिलों से चीनी पहुंचेगी उसकी कीमत ज्यादा होगी ।

श्री सभापति: राजनाथ सिंह जी, आप भाषण मत कीजिए, क्वैश्चन करिए ...(**व्यवधान**)...सीधे क्वैश्चन करिए ।

श्री राजनाथ सिंह : सर, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप क्वैश्चन करिए । मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे ।

श्री राजनाथ सिंह: सर, मैं क्वैश्चन कर रहा हूं । मेरा कहना यह है कि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सीधे क्वैश्चन करिए ।

श्री राजनाथ सिंह: सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: लेकिन अभी तक क्वैश्चन आया ही नहीं...(**व्यवधान**)....

श्री राजनाथ सिंह: सभापति जी, यथार्थ में किसानों की वेदना मेरे मन के अंदर भी हैं । किसानों का कोई मसीहा बनने की कोशिश न करे ।...(व्यवधान....मेरे मन के अंदर भी वेदना हैं ।....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: आपका क्वैश्चन खत्म । श्री रमा शंकर कौशिक ...(**व्यवधान**)...आप बैठिए,बैठिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् ...(**व्यवधान**)...सभापति जी ने मुझे बोल दिया हैं ।

श्री राजनाथ सिंह: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी हैं कि हमारी भारत सरकार के द्वारा जो....(**व्यवधान**)...श्रीमन् यह क्या हो रहा हैं? यदि आप नहीं बोलने देंगे तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा । श्रीमन् यह क्या तरीका हैं ।....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति:देखिए, एक मिनट ।...(**व्यवधान**)...माफ करिए ।...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह: सर, मेरे मन में वेदना हैं ।

श्री सभापति: एक मिनट, ठहरिए । यह बोलने के अधिकार पर किसी को आपत्ति नहीं हैं, मगर यह क्वैश्चन आवर हैं, इसमें क्वैश्चन होते हैं ।

श्री राजनाथ सिंह: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं,सर ।

श्री सभापति: हां, तो प्रश्न पूछिए ।...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् ।

श्री सभापति: एक मिनट, ठहरिए । मैं आपको बुलवाऊंगा, आप बैठिए । कवैश्चन करिए आप, राजनाथ सिंह जी ।

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, हमारा प्रश्न यह है कि चीनी मिल मालिकों की मनमानी बढ़ गई हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के द्वारा भी जो मिनिमम सपोर्ट पाचं रूपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाई गई थी, उसका भुगतान प्राइवेट शुगर मिल वाले कर रहे हैं ? जहां तक मेरी जानकारी हैं...

श्री सभापति:ठीक हैं, हो गया। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दे दीजिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस हैं, मेरे पास अभी तक जो सूबे की सरकार हैं उसके द्वारा एक जगह से नहीं आया कि उनको कम प्राइस दी जा रही हैं, यदि कहीं कम प्राइस दी जाएगी और उनके पास कोई खबर हो तो निश्चित तौर पर हमारे हाथ में सामर्थ्य है कि हम कड़ाई से वह दाम दिलाने का काम करेंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में 49 जो फैक्टरी हैं, वे सहकारी और कार्पोरेशन के द्वारा चलाई जाती हैं और उनमें 95 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया जा रहा हैं। मेरा निवेदन हैं कि माननीय मंत्री जी, आप मेरी निजी जानकारी को सत्य मानते हुए इस बात को देखें, यह जो सहकारी संस्था हैं और कार्पोरेशन की संस्था हैं, जो 100 में से 47 हैं, वे काश्तकारों को पैसे की जगह चीनी सप्लाई कर रही हैं। चीनी रखने की जगह काश्तकार के पास नहीं है। वे 1250 रूपए के हिसाब से चीनी उन्हें दे रहे हैं और किसान मजबूर हैं उसको उसी समय 1000 रूपए में बेचने के लिए व्यापारियों को। यह स्थिति हो रही हैं। आपकी कोई भी मिलें, चाहे वे सहकारी मिलें हों या कारर्पोरेशन की मिलें हों, पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं। चीनी दे रही हैं उसकी कीमत के बदले में, जिसे काश्तकार 1250 में खरीदकर 1000 रूपए में दे रहा हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं हैं कि वहां चीनी मिलें बंद हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि....

श्री सभापति: आप मंत्री जी को बोलने दीजिए वरना आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाएगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: आप कृपा करके यह ऐलान कर दें कि जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिलें चलती रहेंगी।

श्री शरद यादव :सभापति जी, श्री कौशिक जी ने जो बात कही हैं उसके बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जब तक गन्ना खेत में हैं तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं की जाएगी। एक तो आपके क्वेश्चन का यह जवाब आ गया।

दूसरे, जो आपने जानकारी दी है, वह जानकारी मेरे पास नहीं थी। आप यह जानकारी दे रहे हैं मैं सूबे की सरकार से बात करके उस पर जो भी हो सकता हैं, वह करूंगा। जो आपने मुझसे कहा है, वह आप मुझे लिखकर दे दें। निश्चित तौर पर जब तक गन्ना खड़ा रहेगा तब तक कोई भी मिल मालिक, मिल को बंद करने का काम नहीं कर सकता।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.